प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला:-ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि०ब्यूरो, जयपुर
प्र0स्0रि0संख्या
2. (1) अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा—7,7ए
(2) अधिनियम— भारतीय दण्ड सहिंताधारा — 120बी भा.द.स.
(3) अधिनियमधारायेंधारायें
(4) अन्य अधिनियम धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्यासमयसमय
(ब) अपराध घटने का दिन ्शनिवार दिनांक30.04.2022समय 08.20 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.04.2022 समय 04.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – हस्त्लिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थल:- सेक्टर ए श्रीनाथपुरम् आरोपी अतुल शुक्ला के किराये के फ्लेट(विवान्ता
अपार्टमेन्ट) के सामने स्थित अग्निशमन केन्द्र व अहिसा सर्किल आम रोड, कोटा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी: — बजानिब दक्षिण व ०४ कि.मी.
(ब) ' पता:– श्रीनाथपुरम् सेकटर ए कोटा।
जरायम देही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :
(अ) नाम :– श्री गोपालराय
(ब)पिता का नाम – श्री गुलाबचंद राय
(स) जन्म तिथी / वर्ष 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता. — भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथीजारी
(व) पासपाट संख्याजारा हान का राजा
जारी होने की जगह
जारी होने की जगह(र)व्यवसाय—व्यवसाय—वेकेदार
जारी होने की जगह
जारी होने की जगह(र)व्यवसाय—व्यवसाय—वेकेदार
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय—व्यवसाय—ठेकेदार (ल) पता — सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित:— 1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 भ, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाधाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा
जारी होने की जगह
जारी होने की जगह
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय—वेकंदार (ल) पता — सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित:— 1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोरट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:—
(र) व्यवसाय—व्यवसाय—ठेकेदार (ल) पता — सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित:— 1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 भ, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी क—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:— शून्य 9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये). 10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य87000/— रूपये
(र) व्यवसाय—व्यवसाय—ठेकेदार (ल) पता — सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित:— 1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाधाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:—
(र) व्यवसाय—व्यवसाय—ठेकेदार (ल) पता — सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा 7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित:— 1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 भ, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी क—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:— शून्य 9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये). 10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य87000/— रूपये

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.04.2022 समयः— 04:00 पी.एम.पर परिवादी श्री गोपाल राय पुत्र श्री गुलाब चंद राय जाति भू—ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6—ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा मोबाईल नं. 9198324666ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय का पेश किया कि"मैं गोपाल राय पुत्र श्री गुलाब चंद राय जाति भू—ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी सी—22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) का निवासी हूं तथा पिछले करीब एक वर्ष से कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व घरेलू गैस कनेक्शन करने की ठेकेदारी का कार्य कर रहा हूं। मेरी फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्व विचित्रा कन्द्रशन प्रा.लि. फर्म द्वारा उक्त कार्य कोटा में करने के लिए सबलेट किया गया था। उसी प्रकार का कार्य एक और फर्म श्रीराम इंजीनियरिंग एवं कन्द्रक्शन द्वारा भी मेरी फर्म को करीब एक

वर्ष पूर्व सबलेट किया गया था। फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन व श्रीराम इन्जीनियरिंग एवं कान्ट्रेक्टर से मेरा इन कार्यों को करने के सम्बंध में एग्रमेंट किए हुए हैं जो संलग्न कर रहा हूं। उक्त दोनो कार्यों को मेरी फर्म द्वारा पिछले एक वर्ष से किया जा रहा है। श्री अतुल शुक्ला (प्रोजेक्ट मैनेजर राजस्थान स्टेट गैस लि.) कोटा मेरी बिल पास करने के एवज में कमीशन मांगता है व पास किए हुए बिलों का कमीशन लेने के बाद ही अगले बिल पास करता है। उक्त अतुल शुक्ला द्वारा फर्म श्री राम इन्जीनियरिंग एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल RA-2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल RA-6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 27.04.2022 को पास किए गए हैं। बिल सं. श्रीराम इन्जीनियरिंग RA—2 की राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. RA—6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये की मांग की जा रही है। यह कमीशन राशि देने पर ही श्री अतुल शुक्ला द्वारा अगले बिल पास करने को कहा जा रहा है। इससे पूर्व किए कार्यों के बिल की भी श्री अतुल शुक्ला द्वारा बडी राशि करीब 42,00,000 रुपये दोनो फर्मो के होल्ड (रोक) कर रखे हैं, जो कि रिलीज नहीं कर रहा है। उक्त 42 लाख रुपये की राशि रिलीज करने के भी श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरी कम्पनी में नियुक्त कराए गए श्री विष्णु सैनी के जर्ये 1,00000 (एक लाख रुपये) की रिश्वत मांगी जा रही है। श्री विष्णु सैनी उनका दलाली का कार्य करता है। दो दिन पूर्व मैं इनसे मिला भी था। श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरे का विष्णु सैनी के साथ उक्त कमीशन राशि व होल्ड राशि रिलीज करने में रिश्वत की बातचीत हेतु आज शाम को अपने किराए के घर के पास अंहिसा सर्किल, कोटा पर बुलाया है। मैं श्री अतुल शुक्ला (प्रोजेक्ट मैनेजर, R.S.G.L.) को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। इससे मेरी कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधार का लेनदेन बकाया है। रिश्वत मांगने में कार्यवाही करावें जिससे मेरी फर्म के बिल पास होने में व रोकी हुई धनराशि को रिलीज कराने में कोई परेशानी नहीं हो इत्यादी। मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर साहब मेरे बिलों में कमी बताकर जानबूझकर बिलों का भुगतान रुकवा देते हैं तथा भुगतानशुदा बिलो का कमीशन लेने के बाद ही अगले बिलों का भुगतान करवाते हैं तथा उनके दलाल श्री विष्णु सैनी के जर्ये मुझसे रिश्वत की मांग करते है। मैं करीब 02 दिन पहले श्री अतुल कुमार शुक्ला जी के दलाल श्री विष्णु सैनी जी से मिला था तो दलाल श्री विष्णु सैनी जी ने मुझसे कहा था कि फर्म श्रीराम इन्जीनियर एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल RA-2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल RA-6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 24.04.2022 को पास किए है। बिल सं. RA—2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. RA—6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये श्री अतूल जी प्रोजेक्ट मैनेजर उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 36,750 रुपये की कमीशन मांग रहे हैं जिन्होने आपको इस सम्बंध में बात करने के लिए बुलाया है इस पर मैं 2 दिन पहले आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के साथ अंहिसा सर्किल पर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला से मिला तो इन्होने मुझसे बिलो को पास करने की एवज में 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई थी तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00000 रुपयो को जारी करने तथा आने वाले बिलो की राशि को होल्ड नहीं करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा था, वह मेरे से 1,37,000 रूपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देगें। चूंकि इस समय डां. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात उपस्थित कार्यालय नहीं है, परिवादी रिश्वत मांग की वार्ता आज ही होना बता रहा है। प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 05.50 पी.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 को तलब कर परिवादी श्री गोपाल राय से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री गोपाल राय को आरोपी श्री अतुल शुक्ला प्रोजक्ट मैनेजर, आर.एस.जी.एल. कोटा से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की। परिवादी ने बताया कि श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरे को विष्णु सैनी के साथ उक्त कमीशन राशि व होल्ड राशि रिलीज करने में रिश्वत की बातचीत हेतु आज शाम को अपने किराए के घर के पास अंहिसा सर्किल, कोटा पर बुलाया है, आरोपी अतुल शुक्ला मुझसे शाम के 07 बजे लगभग बात करेगा। अतः आप श्री असलम जी हैड साहब को शाम को महावीर नगर थाना चौराहे पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर लेकर भेज दे तो मैं आरोपी तथा उसके दलाल से जाकर रिश्वत

के सम्बंध में वार्ता कर लूंगा। इस पर परिवादी गोपाल राय को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 06.50 पी.एम.पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर श्री असलम खान हैड कानि. 124 को सुपुर्द कर ,घटोतकच्च सर्किल पर पहुंच कर परिवादी गोपालराय से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतू निर्देशित किया तथा श्री असलम हैड कानि, 124 को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सूनने का प्रयास करें। श्री असलम खान हैड कानि. 124 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 8.40 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय मय श्री असलम खान हैंड कानि. 124 के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर मौखिक बताया कि श्री असलम खान जी हैड साहब मुझे घटोतकच्च चौराहा महावीर नगर पर मिले गए थे जिन्होने मुझे एक तरफ एकान्त में ले जाकर पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करना समझाया था हम वहां से रवाना होकर आरोपी दलाल के मिलने वाले संभावित स्थान राजीव गांधी नगर में चल रही हमारी साईट से थोड़ा पहले पहुंचे। मैने असलम जी हैड साहब को थोडी दूर पर ही छोड दिया था और मैं राजीव गांधी नगर में चल रही हमारी साईट पर गया। मैंने जाने से पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। दलाल श्री विष्णु सैनी मुझे वहां नही मिलने पर मैंने उसे ढूढां तथा मिलने पर अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर श्री अतूल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने अंहिसा सर्किल गया था. जहां आरोपी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिल सं. आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0. 75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये श्री अतुल जी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00000 रुपयों को जारी करने तथा आने वाले बिलों की राशि को होल्ड नहीं करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा है। विष्णु कुमार दलाल मुझे बताएगा कि श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे होल्ड किए हुए 42,00000 रुपयों को जारी करने के बदले में कितनी रिश्वती राशि प्राप्त करेगा। मैंने बातचीत के बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी दलाल विष्णू सैनी उसे आरोपी अतूल शूक्ला से बात कर रिश्वती राशि के बारे में बताएगा। परिवादी श्री गोपाल राय को हिदायत की गई की आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर तुरंत मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराऐ तथा गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की गई। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मूर्तिब कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 29.04.2022 समय 6.00 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पु.उ.अ. को बताया कि श्री विष्णु सैनी मुझसे मोबाईल पर भी रिश्वत सम्बन्धित बातचीत कर लेता है। समय 06.47 पी.एम.पर परिवादी गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 पर स्पीकर ऑन कर परिवादी व विष्णु सैनी के मध्य वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि मैं श्री अतुल शुक्ला से आज मिला तो था परंतु इस सम्बंध में कोई बात नहीं हो पाई, आप पास हुए बिलो की एवज में तो 37,000 रुपये तथा होल्ड राशि को रिलीज करने तथा आगामी बिलों की राशि को होल्ड नहीं करने की एवज में 1,00000 रुपये रिश्वत के रुप में श्री अतुल शुक्ला जी प्राजेकट मैनेजर को देना चाहों तो दे तो बाकी मेरी बात होने पर मैं आपको कॉल करके बता दुंगा। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। चूंकि परिवादी व दलाल विष्णु सैनी के मध्य हुई रिश्वत मांग मोबाईल वार्ता में आरोपित दलाल ने आरोपित श्री अतुल कुमार शुक्ला से वार्ता नहीं होना बताया है एंव एरिवादी ने भी निवेदन किया है कि जब भी दलाल विष्णु सैनी मुझे वार्ता करने के लिए बुलायेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अतः परिवादी श्री गोपालराय को कार्यवाही की गोपनीया बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया

दिनांक 30.04.2022 समय 10.48 ए.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय ने वाट्सएप कॉल कर मन् उपअधीक्षक को अवगत करवाया कि श्री विष्णु सैनी दलाल ने 9.15 ए.एम. पर मुझे कॉल किया था तथा मुझसे कहा था कि मेरी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से बात हो गई है उन्होने कहा है कि अभी तो बिलो को पास करने की एवज में बन रहे कमीशन के तो पूरे 37,000

रुपये तथा तथा होल्ड राशि को रिलीज करने तथा आगामी बिलों की राशि को होल्ड नहीं करने की एवज में अभी 50,000 रुपये की मांग की है तो आप ऐसा करो आज शाम को श्री अतुल शुक्ला जी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को देने के लिए 87,000 रुपये तैयार रखना मैं शाम को आपको इस सम्बंध में फोन करके बता दूंगा तथा हम दोनों के मध्य हुई वार्ता को मैने मेरे मोबाईल में रिकार्ड कर लिया है। इस पर परिवादी श्री गोपाल राय को अविलम्ब मय रिश्वती राशि 87,000 रुपये लेकर कार्यालय उपस्थित आने व वार्ता को मोबाईल में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से कार्यालय स्टाफ को अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित आने बाबत् जरिये दूरभाष सूचित किया गया। समय 12.30 पी.एम. पर श्री नरेश कुमार कानि० 144 को अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 01.45 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय मय रिश्वती राशि 87,000 रुपये उपस्थित कार्यालय आया। समय 01.50 पी.एम. पर श्री नरेश कुमार कानि० 144 अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज कोटा का पत्रांक 157–61 दिनांक 30.04.2022 के मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपेन्द्र गौतम तथा, कनिष्ठ सहायक व श्रीमति संज् सिंघल, कनिष्ठ सहायक के कार्यालय में उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री गोपाल राय से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। श्री असलम खान हैड कानि. 124 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.04.2022 व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता दिनांक 29.04.2022 को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की आरोपी दलाल विष्णु सैनीव आरोपी अतुल कुमार शुक्ला की आवाज की पहचान की।रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता—प्रथम की पृथक पृथक फर्द ट्रांसिस्कृप्ट श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। चूंकि परिवादी व आरोपी दलाल के मध्य मोबाईल पर रिश्वत सम्बन्धित बातचीत हुई है जिसे परिवादी के मोबाईल में परिवादी ने स्वयं रिकार्ड किया था जिसे मन् पु.उ.अ. ने परिवादी के मोबाईल में चलाकर सुना। समय अभाव होने से फर्द तैयार किया जाना संभव नहीं है जिसे बाद में मोबाईल से लेपटोप में लिवाया जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जावेगी। समय 6.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री गोपाल राय ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 174 नोट कुल 87,000 रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया। श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के द्वारा मालखाने से फिनोपिथलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम से परिवादी श्री गोपाल राय की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोपिथलीन पाउँडर लगे नोटों में से श्री मुकेश कुमार कानि. 71 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोट क्रम सं. 01 लगायत 74 कुल 37,000रुपये तथा फर्द पेशकशी नोट में अंकित शेष क्रम सं. 75 लगायत 174 कुल 50,000 रुपये परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने वाली बांयी जेब में रखवाए गए। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के फिनोपिथलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावंडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बंधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के दोनों हाथों को साबून व पानी से अच्छी तरह धूलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मथ ढक्कन, कांच

के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवायें गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की बायीं जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 07.14 पी.एम पर आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 से परिवादी श्री गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 पर कॉल आया स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि मैं श्री अत्ल शुक्ला जी से बात करके 10 मिनट में आपको बताता हूं कि आपको रिश्वती राशि लेकर कहां पर आना है। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 7.45 पी.एम पर आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 से परिवादी श्री गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 पर कॉल आया स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि आप रिश्वती राशि लेकर श्री अतुल शुक्ला जी के किराए के फ्लैट के पास आ जाओ। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 08.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल राय को उसकी प्राईवेट कार से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी श्री अतुल शुक्ला के सेक्टर ए, श्रीनाथपुर स्थित किराए के फ्लैट के पास हेतु रवाना किया। उनके पीछे–पीछे श्री असलम खान हैड कानि. 124 तथा नरेश कानि. 144 को सरकारी मोटर साईकिल से रवाना किया, श्री गिर्राज कानि. व श्री दीपेन्द्र गौतम स्वतंत्र गवाहान को सरकारी वाहन से मय चालक श्री विशेष कुमार 585 को अपने पीछे आने की हिदायत कर सरकारी मोटर साईकिल से रवानाशुदा श्री असलम खान हैड कानि. तथा नरेश कानि. 144 के पीछे-पीछे स्वयं मय श्री वासूदेव पू.नि. तथा श्रीमित मंजू महिला कानि. तथा स्वतंत्र गवाह श्रीमित संजू सिंघल कनिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाह स्वयं की प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स कार्यवाही हेतू रवाना हुआ। समय 08.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता आरोपी श्री अतुल शुक्ला के सैक्टर-ए, स्थित किराये के आवास (विवान्ता अपार्टमेन्ट) के सामने अग्निशमन केन्द्र से अंहिस सर्किल आम रोड पर पहुँचे। परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु जाने बाबत् ईशारा कर रवाना किया। श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक व जाब्ता व दोनों स्वतंत्र गवाहान को आरोपी के फ्लैट के परिसर के पास बनी चाय की दुकान पर दीवार की ओट में उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से दूरी बनाते हुये आरोपी के फ्लैट स्थित परिसर के सामने स्थित मेडिकल की दुकान पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा।

समय 08.20 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल राय ने सेक्टर ए श्रीनाथपुरम में अग्निशमन रोड पर खडी अपनी कार के पास से अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री गोपाल राय के पास पहुंचा, परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया यह व्यक्ति जिसने नीले रंग की पेंट तथा सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है, की ओर ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही श्री अतुल कुमार शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसने अभी-अभी मुझसे मेरी फर्म द्वारा गैस पाईप लाईन डालने, गैस कनैक्शन के किये गये कार्यों के बिल पास करने पर कमीशन राशि तथा होल्ड (रोकी) की गई राशि को रिलीज करने की एवज में 87,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त कर, अपनी पहनी हुई नीली पेंट की दाहिनी जेब में रखे है तथा इसकी बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति जिसने नीले कलर की जींस तथा सलेटी कलर की टी-शर्ट पहन रखी है यह व्यक्ति आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला का दलाल विष्णु सैनी है। परिवादी के बताये हुये दोनो व्यक्तियों को जाप्ते की मदद से डिटेन किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताए गए व्यक्तियों को तसल्ली देते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया एंव नाम-पते पूछे तो उनमें से सफदे शर्ट पहने व्यक्ति ने अपना नाम अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता – स्ट्रीट न0–64, क्वाटर न0 25-ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W. अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा होना बताया। चूंकि उक्त स्थल आम सडक है जहां लोगो व वाहनों का आवागमन है तथा भीडभाड होने से व्यवधान हो रहा है, नाही बैठकर लिखित कार्य करने का उचित स्थान है। अतः नजदीकी राजकीय कार्यालय नवीन चिकित्सा महाविधायल के परिसर, रंगबाडी रोड कोटा मे अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आरोपी श्री अतुल शुक्ला का दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री असलम हैड कानि0 व बायां हाथ कलाई के उपर से श्री गिर्राज कानि0 से पकडवाया जाकर इसी स्थिति मे रखने व लेजाने तथा दोनो हाथ कहीं भी नही छूने देने की हिदायत कर तथा श्री विष्णु सैनी को श्री नरेश कानि0 से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन जीप में बैठाकर श्री वासूदेव पुलिस निरीक्षक के साथ विशेष कुमार कानि० ड्राईवर को समय 08.35 पी.एम. पर रवाना नवीन चिकित्सा महाविधालय परिसर किया गया, पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक मय कानि० मंजू व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन मोटर साईकिल के रवाना होकर समय 08.45 पी.एम. पर नवीन चिकित्सा महाविधालय कोटा पहुंचे जहां श्रीमान अधीक्षक नवीन चिकित्सा महाविधालय से जर्ये मोबाईल वार्ता कर एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, जिस पर वेतन शाखा कार्यालय उपलब्ध कराया गया, जिसमे श्री वासूदेव पुलिस निरीक्षक के साथ जाप्ता व दोनो आरोपीगण को जैसी स्थिति मे पकडकर लेजाने के निर्देश दिये गये थे, उसी स्थिति में रखे जाकर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर से परिवादी गोपाल राय से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने गोपाल राय से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, इसने जबरदस्ती मुझे रुपये दिए है, जो मैने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में ही रखे हैं, मैं इन रुपयों को नहीं लेना चाहता था। आरोपी विष्णु सैनी दलाल से आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला को रिश्वती राशि लेने में सहयोग करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने श्री अतुल कुमार शुक्ला सर को कोई रिश्वती राशि लेने में सहयोग नहीं किया है, मैं तो जे.डी.ए. सर्किल पर ट्रेंच बंद होने के कारण श्री अतुल कुमार सर के पास आया था मैने इस सम्बंध में सर से बात भी की है। इस पर स्वतन्त्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम से श्री अतुश शुक्ला की पहनी हुई नीली पेंट की दाहिनी सामने वाली जेब से रिश्वती राशि को निकलवाकर गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम ने नोटों को गिनकर 500-500 के 174 नोट कुल 87,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट सुपुर्द कर मिलान करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर हुबहू वही नोट होना बताया, जो परिवादी ने फर्द पेशकशी के वक्त कार्यालय में पेश किये थे। उक्त नोटों को स्वतन्त्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला को एक कुर्सी पर बैठाया गया एंव मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देंकर पूछा गया कि आपने कुछ देर पहले परिवादी श्री गोपाल राय से 87,000रू किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि गोपाल राय जी की फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्वे से विचित्रा कन्ट्रक्शन प्रालि फर्म एवं श्रीराम इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर द्वारा कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व घरेलू कनेक्शन करने का काम दिया गया था, मैं राजस्थान स्टेट गैस लि. में प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कोटा में पदस्थापित हूं इसलिए मैं इनको जानता हूं। मैने गोपाल राय से कोई रिश्वत प्राप्त नहीं की है, इन्होने तो मुझे जबरदस्ती रुपये दिए हैं, जो मैने बार-बार इनके आग्रह करने पर लिए हैं।

इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी अतुल कुमार शुक्ला की बात का खण्डन करते हुये कहा कि श्री अतुल कुमार शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं, मैं करीब 02 दिन पहले श्री अतुल कुमार शुक्ला जी के दलाल श्री विष्णु सैनी जी से मिला था तो दलाल श्री विष्णु सैनी जी ने मुझसे कहा था कि फर्म श्रीराम इन्जीनियर एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल आर.ए.—2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल आर.ए.—6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 24. 04.2022 को पास किए है। बिल सं. आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये हुआ है। श्री अतुल जी प्रोजेक्ट मैनेजर उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 36,750 रुपये की कमीशन मांग रहे हैं, जिन्होने आपको इस सम्बंध में बात करने के लिए बुलाया है। इस पर में 02 दिन पहले आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के साथ अहिसा सर्किल पर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला से मिला तो इन्हाने मुझसे आगे आने वाले बिलो को पास करने की एवज में 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई थी तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00,000 रुपयो को जारी करने तथा आने वाले बिलो की राशि को होल्ड नहीं करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा था, जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में की थी। पहले तो दलाल श्री विष्णु सैनी ने मुझसे होल्ड राशि को जारी करने की एवज में श्री अतुल कुमार शुक्ला को एक लाख रुपये बतौर रिश्वत देने हेतु कहा था, परंतु बाद में दलाल विष्णु ने मुझसे कहा था कि अभी तो श्री अतुल कुमार जी को दोनों बिलों के कमींशन के तो राउंड फीगर में 37,000 रुपये तथा होल्ड राशि को जारी करने की एवज में अभी 50,000 रुपये, कुल 87,000 रुपये श्री अतुल कुमार शुक्ला जी को दे दो, इस पर मैने आज इनको 87,000 रू रिश्वत राशि दी है। इन्होने आज मेरी कार बलैनो में बैठकर श्री विष्णु सैनी दलाल की उपस्थित में मुझसे 87,000 रु प्राप्त कर दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी सामने वाली जेब में रखे हैं। मैंने इनको कहा था कि विष्णु जी ने हमको 37,000 का कहा था। बिल सं. आर.ए.--2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.

75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन बीस हजार एक सौ कुछ रुपये हैं मैंने पहले इनको 37,000 तथा उसके बाद मैंने उनको कहा कि ये विष्णु जी ने बिल होल्ड रिलीज के 50,000 देने है जो ये है तो इन्होंने कुल 87,000 रुपये रिश्वती राशि लेकर कहा था ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको ईशारा कर दिया था। आरोपी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत राशि जिसे गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम के पास सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया एवं बरामद रिश्वत राशि 500—500 रूपये के 174 नोट कुल 87,000रू के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्व

विवरण निम्नानुसार है :--3TE206387 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1NH027374 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 9AE273881 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 2BR747027 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CB841776 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 4FW035567 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 7GG514288 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 8DV037813 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AK813613 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5UW724557 नम्बरी एक नोट पांच सौ रूपये का 10 6VM542667 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0TH843706 12 1GS935216 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 13 2CG488590 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 14 3HK817572 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 15 1HR730046 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 16 1HR730047 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5TN467218 18 6FV590754 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 19 9HF204650 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DE726926 21 7GA597039 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 22 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2VH067570 23 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ES045191 8EQ681726 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 25 5EU218343 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 26 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AW765685 27 6TE329803 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 28 4EM271382 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 29 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CN193623 30 9AE106950 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 31 7RG075269 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AB476227 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 33 9AF453400 सौ रूपये का नम्बरी एक नोट पांच 34 0PU421923 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 35 4CB431768 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 36 0HN812624 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 37 2HE823263 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 38 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6BT333394 39 3CB995090 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 40 1US196378 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 41 9TU977459 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 42 1KS734058 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 43 रूपये का नम्बरी 0TK515107 एक नोट पांच सौ 1KG870739 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी

46	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WC347429
47	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UD491070
48	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1CV544297
49	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0EU528302
50	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8EE227622
51	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	
52		5BS970657
<u> </u>	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4EP560637
53	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EN951534
54	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3UK909492
55	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6RL878204
56	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CU901913
57	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9DA913380
58	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EW666429
59	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UE300361
60	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MP860084
61	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5BH598758
62	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AE293543
63	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BH715793
64	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EC847233
65	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1CS919579
66	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AB540635
67	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1TN013820
68	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5PG362119
69	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4MA120797
70	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9HL236723
71	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6KQ248363
72	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UC080875
73	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8KB395933
74	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CV049224
75	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0DE078933
76	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CB959353
77	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FN540263
78	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7RC752594
79	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9KN167605
80	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EE400450
81	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9FG271780
82	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9QC936511
83	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5MT829225
84	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NL233918
85	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5EN262947
86	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0BH133356
87	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8PU946036
88	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DN200209
89	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3DE716566
90	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DQ791587
	एक नोट पांच सी रूपये का नम्बरी	0MF961065
91		
92	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EQ967222
93	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CM209989
94	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5FA644353
95	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EW578248
96	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1QK864118
97	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3EW526819
98	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2DS362127
99	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UB834197

100 1	The min of the man of the man of the min of	00000000
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8RQ296049
101 ए	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5AS369229
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6MA202662
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9VV017094
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3NU265168
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9KG082472
106 ए	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DA560416
107 ए	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DN837884
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DA469479
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4ET766369
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7BT368360
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0KU655794
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9AU390263
	क नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3SB179856
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4QC861013
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MP635496
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FM195203
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1WP613457
	p नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4KL062402
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2BR682261
	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7DC948899
121 एव	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UK953410
122 एव	🤈 नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3SM523002
123 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1HM894674
124 एक	ह नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2ED747402
125 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BP208737
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MS113473
127 एक	ज्ञांट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BE072371
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6WB950545
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8LD769364
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3UH651657
131 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EC581614
132 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7TH329908
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MD596525
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CU924176
135 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8FR566922
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7BM813663
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8HE542808
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6RM457981
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8AW691562
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BC059995
141 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7KF878017
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1AQ886667
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9VD921930
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7QQ341397
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5KA434832
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CG895984
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2BF832415
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7PQ842538
	नोट पांच सो रूपये का नम्बरी	
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8FW918495
		5CV579050
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0TR180011
	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5EU303791
153 एक	नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1WP533693

(DU

154	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CC433598
155	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CM060175
156	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2QK165676
157	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1AR271949
158	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8MM910620
159	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3HU054406
160	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4FD619994
161	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DQ134232
162	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CL031868
163	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0RP304154
164	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5HR343075
165	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2BN126615
166	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DQ297154
167	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4VD169588
168	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BF606148
169	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CV672952
170	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7TQ822493
171	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EN914508
172	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6GB790977
173	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CU986203
174	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2UG160052

उक्त रिश्वत राशि को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। अतः दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नवीन चिकित्सा महाविधालय परिसर कोटा से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया तथा दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धूलवाया गया तो घोवन का रंग मटमैला आया, जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। तत्पश्चात् एक साफ कांच का गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, आरोपी की पहनी हुई नीली पेंट को उतरवाकर उसकी सामने की दांहिनी जेब को बाहर निकलवाकर उक्त गिलास के घोल में डुबो कर धुलवाया तो बर्तन के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा—आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गए। आरोपी की पहनी हुई नीली पेंट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया जाकर पैकिट मार्क P दिया गया।

रिश्वत मांग सत्यापन, वक्त लेन—देन रिश्वत वार्ता एवं मोबाईल वार्ताएं परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं, जिसको परिवादी व रुबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ताएं एवं वक्त रिश्वत लेन—देन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लिमि.कोटा व दलाल श्री विष्णु सैनी को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् पृथक—पृथक नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया तो दोनो आरोपीगण ने नोटिस पर स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया की ''मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं'। नोटिस नमूना आवाज जवाब को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम व पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.) हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा व श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा को जरिये फर्च गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अतुल कुमार की जामा तलाशी में मिले मोबाईल ओप्पो F19 कम्पनी जिसमे दो सिम कार्ड नम्बर 8790005750

एयरटेल एवं 9721751814 वोडाफोन / आईडिया (वीआई) व विष्णु सैनी की जामा तलाशी में मिले मोबाईल रेडमी कम्पनी का मॉडल Y2 (स्कीन टूटी हुई) जिसमे दो सिम कार्ड नम्बर 8107800698 एयरटेल एवं 9694069980 आईडिया को रिश्वत लेनदेन में प्रयुक्त करने से कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना दोनों के बताये अनुसार दी गई।

इसके बाद परिवादी श्री गोपाल राय व दलाल श्री विष्णू सैनी के मध्य दिनांक 29.04.2022 को परिवादी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णु सैनी के मो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई द्वितीय वार्ता, श्री गोपाल राय व आरोपी दलाल श्री विष्णु सेनी क मध्य दिनांक 30.04.2022 को परिवादी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णू सेनी के भो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई तृतीय वार्ता, परिवादी श्री गोपाल राय व आरोपी दलाल श्री विष्णू सैनी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को परिवादी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णु सैनी के मो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई चतुर्थ वार्ता, परिवादी श्री गोपाल राय व आरोपी श्री अतूल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि., कोटा एवं आरोपी दलाल विष्णु सैनी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत लेन-देन के संबंध में हुई वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट क्रमशः मोबाईल वार्ता द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व रिश्वत लेनदने वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट कार्यालय के लेपटोप से श्री असलम हैड कानि. 124 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्ताओं में आवाज की पहचान परिवादी श्री गोपालराय द्वारा की गई। परिवादी श्री गोपाल राय एवं आरोपी दलाल विष्णु सैनी तथा आरोपी अतुल कुमार शुक्ला के मध्य दिनांक 28.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 29.04.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता— प्रथम, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता — द्वितीय, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता — तृतीय, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता – चतुर्थ तथा रिश्वत मांग लेन--देन वार्ता दिनांक 30.04. 2022 जो कार्यालय के लेपटोप में सेव थी की पांच सी.डी. कार्यालय के लेपटोप से श्री असलम हैड कानि. द्वारा तैयार करवाई गई। एक सी.डी. वजह सबुत न्यायालय के लिए एवं दो सी.डी जारोपीगण के लिए एवं एक सीडी एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग—अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपड़े की थैली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। फर्द डबिंग पृथक से मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.40 एएम. पर नवीन चिकीत्सालय महाविद्यालय कोटा से मय टीम, स्वतन्त्र गवाहान, गिरफतारशुदा दोनो आरोपी एव परिवादी जब्तशूदा आर्टिकल्स के रवाना होकर समय 06.00 ए.एम. पर घटना स्थल पहुंच कर घटना स्थल का नक्शा भौका मुर्तिब किया गया। परिवादी को घटना स्थल से संकुशल रूकसत किया गया। घटना स्थल से रवाना होकर मय टीम व गिरफतारश्रदा दोनो आरोपी व जब्त आर्टिकल्स के थाना दादाबाडी पंहुचा। दोनो आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि से थाना दादाबाडी की हवालात में जमा करवाया गया। थाना दादाबाडी से रवाना होकर समय ०६.५० ए.एम. पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुंचा। कार्यवाही के दौरान बरामदशूदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपा अतुल कुमार शुक्ला के हाथों व पेन्ट के धोवन की 06 शीशियां मार्क LH-1, LH-2, RH-1, RH-2 व P-1, P-2 ,जब्तश्रुदा पैकिट मार्क ''P'' व शील्डश्रुदा सीडीयां–04, एक अनशील्ड सीडी व अन्य आर्टिकल्स जब्तशुदा मोबाईल को मालखाना प्रभारी श्री गिरिराज कानि. 387 को सुपुर्द कर मालखान। रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया। कार्यवाही पूर्ण होने से दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सकुशल रूकसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री गोपाल राय की फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्व से विचित्रा कन्द्रक्शन प्रा.लि. फर्म एवं श्रीराम इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर द्वारा कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व घरेलू कनेक्शन करने का काम दिया गया था। श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि., कोटा परिवादी श्री गोपाल राय के पास किये गये बिलो के कमीशन के रूप में 37000 रुपये तथा होल्ड (राक) गए करीब 42,00000 रुपयों को रिलीज करने तथा आगे के बिलों की राशि होल्ड नहीं करने की ऐवज में आरोपी श्री विष्णु सैनी के मार्फत रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। दौराने सत्यापन आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला द्वारा दलाल विष्णु सैनी की उपस्थिति में परिवादी से उसके पासशुदा बिलो की कमीशन राशि 35000रू की रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमती दी गई, एवं होल्ड राशि 420000रू को रिलिज करने के लिए दलाल विष्णु सैनी से वार्ता करने बाबत् कहा गया। दिनांक 29.04.2022 व दिनांक 30.04.2022 को दलाल विष्णु सैनी द्वारा परिवादी श्री गोपालसय से पासशुदा बिलों की कमीशन राशि 37000रू एवं होल्ड राशि 420000रू को रिलिज करवाने की एवज में 50000रू कुल 87000रू रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 30.04.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला द्वारा परिवादी श्री गोपालसय से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दलाल विष्णु सैनी की मोबाईल वार्ताओं के कम में 87,000रू रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपो श्री अतुल

कुमार शुक्ला द्वारा दाहिने हाथ में लेकर पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखना, रिश्वत राशि आरोपी अतुल शुक्ला की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना व आरोपी के दांए हाथ का धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होना एंव पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होना एंव दलाल श्री विष्णु सैनी द्वारा आरोपित श्री अतुल कुमार शुक्ला के लिए रिश्वत राशि की मांग करना एंव रिश्वत लेनदेन में सहयोग करना पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कोटा एंव दलाल विष्णु सैनी के द्वारा धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः 01. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता — स्ट्रीट न0—64, क्वाटर न0 25—ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 02. आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के—2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा के विरूद्ध अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(विजय सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा एवं 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी, कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 159/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-1394-98 दिनांक 02.05.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, खनिज भवन, तिलक मार्ग,
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

उप महानिरोक्षक पुलिस,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।